सप्तदश

बिहार विधान सभा

नवम सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-5

शुक्रवार, तिथि 23 आषाढ़, 1945 (श०)
14 जुलाई, 2023 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 13

(1)	स्वास्थ्य विभाग	.. ..	09
(2)	ऊर्जा विभाग	.. ..	03
(3)	आपदा प्रबंधन विभाग	.. ..	01
		कुल योग --	13

मानक के अनुसार चिकित्सकों की नियुक्ति करना

23. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 7 अप्रील, 2023 को प्रकाशित शीर्षक ''बिहार में एक लाख की आबादी पर मात्र 7 डॉक्टर'' के आलोक में क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 10 हजार की आबादी पर 10 चिकित्सक रखने का प्रावधान है जबकि बिहार में एक लाख की आबादी पर मात्र 7 चिकित्सक ही कार्यरत हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में स्वीकृत स्थायी चिकित्सकों के 12,895 स्वीकृत पद के विरुद्ध 6,330 ही कार्यरत है तथा सविंदा आधारित 4,751 स्वीकृत पद के विरुद्ध 2,857 ही कार्यरत है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य में आबादी के अनुपात में मानक के अनुसार चिकित्सकों की नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

एटी एण्ड सी लॉस को मानक के अनुरूप करना

24. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-22) नवीनगर)--दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 9 जून, 2023 के अंक में छपी खबर के शीर्षक ''बिहार के बिजली कम्पनियों को 44वां और 45वां रैंक मिला'' के आलोक में रखते हुये क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अप्रील, 2023 में प्रकाशित 11वीं रैंकिंग रेटिंग में देश भर की 51 बिजली आपूर्ति कम्पनियों में बिहार की नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूटशन कम्पनी को 44वां और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी को 45वां रैंक मिला है ;

(2) क्या यह बात सही है कि एटी एण्ड सी लॉस की गणना 35.3 फीसदी होने के कारण राज्य की बिजली कम्पनियों को उपरोक्त रैंक प्राप्त हुआ है ;

(3) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त कम्पनियों को लॉस कम करने के लिये प्रत्येक वर्ष एक हजार करोड़ से अधिक की राशि दी जाती है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो एटी एण्ड सी लॉस को मानक के अनुरूप नहीं करने का क्या औचित्य है ?

मुआवजा का प्रावधान करना

25. श्री विजय कुमार सिन्हा (क्षेत्र संख्या-168 लखीसराय)--क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पिछले 1 माह से राज्य में भीषण गर्मी और तापमान में वृद्धि के कारण सैंकड़ों पीड़ितों की मौत हो गई है एवं 5 हजार से अधिक लोग राज्य के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में प्राकृतिक आपदा से मरने वालों के लिये मुआवजा का प्रावधान है, परंतु भीषण गर्मी और लू से मरने वालों के लिये यह प्रावधान नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य में भीषण गर्मी को प्राकृतिक आपदा मानते हुये लू एवं गर्मी जनित बीमारियों से मरने वालों के लिये मुआवजा का प्रावधान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

एच0पी0वी0 वैक्सीन उपलब्ध कराना

26. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-194 आरा)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिये 9 से 14 साल की बच्चियों को एच0पी0वी0 (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) वैक्सीन की जरूरत पड़ती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा उक्त वैक्सीन की उपलब्धता सरकारी अस्पतालों में नहीं कराये जाने के कारण सर्वाइकल कैंसर के मरीजों की संख्या में प्रत्येक वर्ष इजाफा हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में एच0पी0वी0 वैक्सीन कबतक उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

गामा नाईफ कैमरे लगाना

27. श्री राणा रणधीर (क्षेत्र संख्या-18 मधुबन)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 16 जून, 2023 को प्रकाशित शीर्षक "बिहार में गामा नाईफ और कैमरे तक की व्यवस्था नहीं" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुँह का कैंसर, गले का कैंसर, गॉल ब्लाडर कैंसर, गर्भाशय कैंसर की संख्या सर्वाधिक है तथा थायराइड कैंसर मरीजों के पहचान के लिये गामा कैमरा नहीं है जिसके कारण राज्य के मरीजों को इलाज के लिये बाहर जाना पड़ता है और कई कैंसर मरीज समुचित इलाज के अभाव में मृत्यु के शिकार हो रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार राज्य के प्रमुख अस्पतालों में कबतक गामा नाईफ कैमरे लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आरक्षण की व्यवस्था देना

28. श्री प्रेम कुमार (क्षेत्र संख्या-230 गया टाउन)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 21 मई, 2023 को प्रकाशित शीर्षक "एम0बी0बी0एस0 में आरक्षण के लिये छात्राओं को करना होगा इंतजार" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों में एम0बी0बी0एस0 में नामांकन में 33 प्रतिशत अतिरिक्त सीटें लड़कियों के लिये आरक्षित कर दी गई लेकिन बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परिषद् को आरक्षण से संबंधित कोई आदेश प्राप्त नहीं होने से लड़कियों को 33 प्रतिशत का आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार एम0बी0बी0एस0 नामांकन में लड़कियों को 33 प्रतिशत का आरक्षण की व्यवस्था कबतक देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कचड़ा निस्तारण का उपाय

'क'-29. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-194 आरा)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 2 जून, 2023 को प्रकाशित शीर्षक "खुले में जैविक कचरा फेंकने वाले 4,323 चिकित्सा संस्थानों का पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने किया शो-कॉज, संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो बंद होंगे ऐसे सभी संस्थान" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि खुले में जैविक कचरा फेंकने वाले 4,323 चिकित्सा संस्थानों को प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने शो-कॉज किया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जैविक कचरा कैंसर का प्रमुख स्रोत है जिससे प्रत्येक वर्ष राज्य में हजारों लोग मौत के मुँह में जा रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के चिकित्सा संस्थानों के कचड़ा निस्तारण के लिये कारगर उपाय करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नोट--'क'-स्वास्थ्य विभाग के ज्ञापांक 1673(18), दिनांक 5 जुलाई, 2023 द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में स्थानांतरित ।

दोषी विभागीय पदाधिकारी पर कार्रवाई

30. श्री विजय कुमार सिन्हा (क्षेत्र संख्या-168 लखीसराय)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार में 102 एम्बुलेंस सेवा का परिचालन वर्ष 2017 से 2022 तक पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर एवं सम्मान फाउण्डेशन द्वारा किया गया ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त अवधि में स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर स्टेट रेसोर्स यूनिट से उक्त परिचालित एम्बुलेंस का अंकेक्षण कराया गया, जिसमें कई जगहों पर एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की कमी, लाईफ स्पोर्ट सिस्टम का अभाव, एक्सपायरी दवा एवं ए0सी0 में गड़बड़ी पाई गई किन्तु भारी अनियमितता के संबंध में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तथा इसी एजेंसी को पुनः 5 वर्षों के लिये 1,600 करोड़ रुपये का एम्बुलेंस परिचालन का ठेका मई, 2023 में दे दिया गया ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इस एजेंसी को काली सूची में डालकर इसका ठेका रद्द करने एवं ठेका देने में संलिप्त विभागीय पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई

31. श्री भाई वीरेन्द्र (क्षेत्र संख्या-187 मनेर)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 3 जुलाई, 2023 को प्रकाशित शीर्षक "1800 में 600 अस्पतालों में ही किया जैव कचरे का प्रबंधन" के आलोक में क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य भर में स्थापित 1800 अस्पतालों में जैव प्रबंधन की अनिवार्यता के अनुपालन में 30 जून, 2023 तक मात्र 600 अस्पतालों द्वारा ही कचरा प्रबंधन किये जाने की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिया गया है, यदि हाँ, तो जैव प्रबंधन की सूचना नहीं दिये जाने वाले अस्पतालों के विरुद्ध सरकार कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी कर्मियों पर कार्रवाई

32. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाये जाने के बाद से जमा राशि शून्य दर्शाकर अचानक बिजली बंद कर दी जाती है और बाद में शिकायत करने पर राशि उपलब्ध पाई जाती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इस तरह की क्रियाकलाप से उपभोक्ता 4 से 6 घंटे तक बिजली से महरूम रहते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अचानक बिना किसी सूचना के शून्य राशि दर्शाकर बिजली बंद करने वाले दोषी कर्मियों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नर्सिंग संस्थानों का मान्यता रद्द करना

33. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 13 फरवरी, 2023 अंक में प्रकाशित खबर के शीर्षक "इंडियन नर्सिंग काउंसिल से प्रमाण-पत्र हासिल नहीं कर रहे हैं, संस्थान सूबे के नर्सिंग संस्थानों के छात्रों को दूसरे राज्यों में नहीं मिलेगी नौकरी" के आलोक में क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में नर्सिंग संस्थानों द्वारा इंडियन नर्सिंग काउंसिल (आई0एन0सी0) से प्रमाण-पत्र नहीं लेने के कारण बिहार में नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे छात्रों को केन्द्रीय सेवाओं या दूसरे राज्य में रोजगार नहीं मिल पायेगा ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में 262 निजी नर्सिंग संस्थान तथा 104 सरकारी नर्सिंग संस्थान कार्यरत हैं, परन्तु अधिकांश संस्थानों ने आई0एन0सी0 से प्रमाण-पत्र हासिल नहीं किया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य में नर्सिंग छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नर्सिंग संस्थानों का मान्यता रद्द करने तथा इसे लागू कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कैंसर से बचाव

34. श्री मुन्ना प्रसाद (क्षेत्र संख्या-196 तरारी)--स्थानीय हिन्दी दैनिक में दिनांक 25 जून, 2023 को प्रकाशित शीर्षक "प्रदेश में महामारी के तरह फैल रहा है गॉल ब्लैडर कैंसर" के आलोक में क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार में डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ व दूषित पानी से गॉल ब्लैडर यानी पित्त की थैली के कैंसर के रोगियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी से सभी प्रकार के कैंसर की बीमारियों में अकेले 50 प्रतिशत रोगी गॉल ब्लैडर के ही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि गॉल ब्लैडर कैंसर को रोकने हेतु डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ के मानक जाँच व दूषित जल से निजात हेतु कारगर कदम उठाने पर इस लाइलाज बीमारी से बिहार के लोगों को बचाया जाना संभव है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गॉल ब्लैडर कैंसर से बचाव हेतु कारगर कदम उठाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बिजली सप्लाई करना

35. श्री सुधाकर सिंह (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)--क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा कृषि फीडर में न्यूनतम 8 घंटे बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने का आदेश दिया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कालांतर में न्यूनतम 8 घंटा बिजली सप्लाई के जगह अधिकतम 8 घंटा बिजली की सप्लाई कर दी गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य में खाद्यान्न उत्पादन में लगे किसानों की सहूलियत हेतु न्यूनतम 8 घंटा बिजली की जगह उपलब्धता आधारित बिजली सप्लाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 14 जुलाई, 2023 (ई0) ।

पवन कुमार पाण्डेय,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

बि0स0मु0, 29(एल0ए0), 2023-24-डी0टी0पी0-550